उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या-120/2017/3370 /**चार**-2017- 160 (**वि**0)/2017

लखनऊ: **दिनांक** : 28 **नवम्बर**, 2017

भारत सरकार द्वारा ई-प्रोक्यारेमेंट पोर्टल के रूप में गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (G e M) **विकसित किया गया है**, **जो** gem.gov.in **पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को शासनादेश संख्या**-11/2017/523/18-2-2017-970**उ0ल**/2016 **दिनांक** 23 **अगस्त**, 2017 **द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है। इस पोर्टल को उपयोग हेतु प्राथमिक उपयोगकर्ता प्राइमरी यूजर के रूप में निम्न अधिकारियों को पदनाम से इंगित भूमिका** (Role) **हेतु अधिकृत किया जाता है**:-

S.No	Role	Designation	Name of Organization
1	Primary User	**निदेशक**	**संस्कृति निदेशालय**, **उ0प्र0 लखनऊ**
	Primary User	**निदेशक**	**उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय लखनऊ**
	Primary User	**निदेशक**	**उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय**, **लखनऊ**
	Primary User	**निदेशक**	**राजकीय अभिलेखागार**, **लखनऊ**
	Primary User	**कुलपति**	**भातखण्डे संगीत संस्थान लखनऊ**
	Primary User	**निदेशक**	**अयोध्या शोध संस्थान** , **अयोध्या फैजाबाद**
	Primary User	**निदेशक**	**भारतेन्दु नाट्य अकादमी**, **लखनऊ**
	Primary User	**सचिव**	**उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी**, **लखनऊ**
	Primary User	**सचिव**	**राष्ट्रीय कथक संस्थान**, **लखनऊ**
	Primary User	**सचिव**	**राज्य ललित कला अकादमी**,**लखनऊ**
	Primary User	**निदेशक**	**जैन विद्या शोध संस्थान**, **लखनऊ**
	Primary User	**निदेशक**	**लोक एवं जनजाति कला संस्कृति संस्थान**, **लखनऊ**
2	Verifying Officer	**सचिव**	**संस्कृति विभाग**, **उ0प्र0 शासन**

2- **उपरोक्त प्राइमरी यूजर** GeM (http: gem.gov.in/auth/register) **पर पंजीकरण करा लेंगे।**

3- **यदि एक अधिकारी उपरोक्तवत् दो या अधिक संस्थाओं में प्राइमरी यूजर है**, **तो एक को छोडकर शेष संस्थानों में वे अपने अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को उस ऑर्गेनाईजेशन के लिए प्राइमरी यूजर नामित करेंगे।**

4- **प्राइमरी यूजर्स के जेम पर पंजीकरा हेतु निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता होगी**:-

- **आधार नम्बर**
- **आधार नम्बर से जुडा हुआ मोबाइन नम्बर**
- **सरकारी ई-मेल आई0डी0** (nic.in/gov.in domain **पर**)

5- **एक रूपता के लिए विभागाध्यक्ष /संस्था प्रमुख द्वारा उक्त मेल आई0डी0 का अकांउट नेम/यूजरनेम** (@**से पूर्व का भाग**) **भाग**) **यूजर आई0डी0 के रूप में रखा जाए।**

6- **शासकीय विभागों द्वारा किसी बैंक एकाउण्ट को व्यहृत नहीं किया जाता है**, **अत**: **बैंक के विवरण की स्क्रीन को खाली छोडते हुए आगे की सूचनाएं पोर्टल पर भरी जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा अपने बैंक विवरण को भरा जाए। जाए।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है**, **अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

7- जब तक जेम पोर्टल का ट्रेजरी के साथ इण्टीग्रेशन किया जा रहा है, तब तक के लिए प्राइमरी यूजर्स द्वारा पेमेन्ट मेंथड में में शासकीय विभागों द्वारा Others को चयनित किया जाए। शेष स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा उपक्रमों द्वारा इंटरनेट बैंकिग का चयन किया जाए।

8- प्राइमरी यूजर्स की जिम्मेदारी होगी किस भी सेकेण्डरी यूजर्स जेमपोर्टल के परिचालन से परिचित होकर सही ढंग से इसका उपयोग कर सके।

9- सभी उपयोगकर्ता जेम पोर्टल के नियमों एवं शर्तों के अनुसार शासन द्वारा विहित प्रक्रियाओं के तहत जेमपोर्टल का उपयोग करे।

हीरा लाल
विशेष सचिव

संख्या - 120/ 2017/चार-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम , भारत सरकार नई दिल्ली।
2- निदेशक, संस्कृति/पुरातत्व/संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।
3- कुलपति/निदेशक/ सचिव, अकादमी/संस्थान ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।